

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

पत्रावली संख्या 63 / 2022 तारीख 16.8.22 दिनांक निर्णय 8.9.22

उनवान

रिपोर्ट पटवारी हत्का गिरी जपुर बनाम दयाराम पुत्र पुशानी कान्हा मीना
निवासी बावड़ी


आज पत्रावली मु. राजगढ़ पेश हुई। गैरसायल उप/अनु. जवाब पेश ~~किया~~ नहीं करना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिकमी का स. 206.2079 का नया कब्जा होना साबित होता है। अतिकमी काबिल बेदवली है।

अतः आदेश है कि-

गैरसायल दयाराम पुत्र पुशानी को जाति मीना निवासी बावड़ी आराजी खसरा नं. 4 रकबा 0.20 किस्म चरगा वाके ग्राम बावड़ी से बेदखल किया जाता है तथा शरह लगान 1.20 की 50 गुणा में मु. 60=00 साठ रुपये मात्र कायमी कराई जावे TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा लावें।

✓ फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2022-23
के पृष्ठ संख्या 14 पर चा. पं. 60/-
राशि कायम किये गये।
पेखी
त. रा. लेखाकार


नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)
राजगढ़ (अलवर)